५५

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक RN/0-2/R/1051/1994 - विरूद्ध आदेश दिनांक 23-7-1994 - पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 117/1985-86 निगरानी

1- बद्रीप्रसाद 2- शोभनाथ पुत्रगण मुरलीराम
निवासी ग्राम कपुरहाई तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश
----आवेदकगण

विरूद्ध

1- कौशलकिशोर पुत्र यदुनन्दन प्रसाद
2- चिन्तामणि पुत्र यदुनन्दन प्रसाद
दोनों ग्राम मुकुन्दपुर तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश
---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री आर0एस0तौमर अभिभाषक)

(अनावेदकगण की ओर से श्री बिनोद श्रीवास्तव अभिभाषक)

आ दे श

(आज दिनांक -11-01-2018 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-1994 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम कपूरहाई तहसील अमरपाटन की भूमि सर्वे नंब 173, 175, 182, 174 नायव तहसीलदार वृत्त मुकन्दपुर तहसील अमरपाटन ने पुराने कब्जे के आधार पर भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी अपरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण

क्रमांक 5 अ-74/1977-78 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-79 से अपील स्वीकार कर प्रकरण तहसील में पुनः सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण क्रमांक 6 अ 74/1979-80 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 31-7-86 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-1994 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन का प्रकरण कमांक 5 अ-74/1977-78 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-9-79 (Rimand Order) प्रत्यावर्तन आदेश है। इस आदेश को अपर कलेक्टर सतना ने इसलिये हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है क्योंकि उक्त भूमि में हितबद्ध पक्षकार की सुनवाई हेतु आहुत किये जाने में नायव तहसीलदार ने इस कानूनी मान्यता का पालन करने में तत्परता प्रदर्सित नहीं की थी। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की कंडिका 2 में अंकित है कि जिस प्रकार इस भूमि पर हितधारण करने वाले पक्षकार को तहसीलदार व्दारा की जाने वाली जांच के समय आहुत नहीं किये गये हैं। आदेश के पद 5 में उन्होंने निष्कर्ष दिया है कि अपीलार्थी का विवादगस्त भूमि पर हित था यह अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है इसलिये वह अपील प्रस्तुत करने के लिये सक्षम था। इसी प्रकार अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 23-7-1994 के पद2 में विवेचित किया है कि

भूमि शासकीय थी और कब्जे के आधार पर नामान्तरण चाहा जा रहा था एस0डी0ओ0 ने प्रकरण में पेश रिकार्ड से अन्य पक्षकारों को हितबद्ध पाकर उन्हों भी सुने जाने हेतु रिमान्ड किया था। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन व्दारा पारित आदेश दिनांक 26-9-79 में , अपर कलेक्टर सतना व्दारा पारित आदेश दिनांक 31-7-86 में तथा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा पारित आदेश दिनांक 2-7-1994 में निकाले गये निष्कर्ष समवर्ती है एंव अनुविभागीय अधिकारी के (Rimand Order) प्रत्यावर्तन आदेश के परिणामस्वरूप दोनों पक्षों को विचारण न्यायालय में पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है, जिसके कारण इस निगरानी प्रकरण में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 117/1985-86 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 2-7-1994 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर